न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना – कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी :–
बनाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट		श्रवणराम पुत्र जयराम जाति जाट
निवासी खोखर तह. परबतसर		निवासी खोखर तह. परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री देवेन्द्र मालाकार, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अजीज खां अधिवक्ता अप्रार्थीगण

मुकदमां नम्बर 2022/282 निर्णय दिनांक :– 04.06.2025

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खोखर पटवार हल्का खोखर तहसील परबतसर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 100/1 रकबा 0.9388 हैक्टयर किस्म बारानी 2 आई हुई है। प्रार्थी उक्त खातेदारी सुदा भूमि के उपयोग–उपभोग करने एवं खातेदारी अधिकारों का उपयोग करने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 104 के पूर्वी सीवं से होते हुए उत्तर पश्चिम की और रास्ता खसरा नम्बर 79 तक अथवा खसरा नम्बर 104 के दक्षिण सीव से होते हुए रास्ता खसरा नम्बर 79 व 103 तक आने जाने के लिए रास्ता कायम करने की इस्तदुआ चाही है।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीज खां ने जवाब पेश किया है कि प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार होकर कथन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 100/1 में आने जाने के लिए उत्तर पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 79 में आने जाने का रास्ता बताया गया है जो गलत है साथ ही खसरा नम्बर 76 व 103 के खातेदार को पक्षकार मुकदमां नहीं बनाया गया है। दिनांक 05.07.2023 को तहसीलदार परबतसर द्वारा जरिये पत्रांक 133 दिनांक 16.

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

01.2023 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई। दिनांक 30.05.2025 को प्रार्थी व अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो गया है व राजीनामा अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

3. हमने प्रार्थी व अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 की प्रति पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 100/1, 69, 70, 71 में प्रार्थी सहखातेदार है व खसरा नम्बर 104, 298, 76 की खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 30.05.2025 को राजीनामा हो गया है। अतः प्रार्थना–पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

5. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खोखर में प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 100/1 भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 104 में से राजीनामा दिनांक 30.05.2025 में वर्णित नाप–चौक अनुसार गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि में दर्ज किया जावे। राजीनामा दिनांक 30.05.2025 निर्णय का पार्ट रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार पोडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर